

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,

नई दिल्ली-110003

विषय:- वन मंडल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) के वन कक्ष क्रमांक RF-1491 के रकबा 40.468 हे. वनभूमि बाक्ससाइट उत्खनन व विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मेसर्स धरमजी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लि. मुम्बई को उपयोग पर देने बाबत (Online No. FP/MP/MIN/23750/2017)- regarding.

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./8-10/2021-FC दिनांक 27/05/2021

---0---


विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र./8-10/2017-FC दिनांक 27/05/2021 से 11 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी आवेदक संस्था एवं वन मंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट से प्राप्त हुई है प्राप्त जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	The proposal has not been recommended for approval by the Chief Conservator of Forests Balaghat, The State govt. may therefore submit a detailed justification for not accepting the recommendation of CCF (Balaghat). Site inspection report of concerned CCF has not been submitted with the proposal, which may be submitted.	<p>इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट द्वारा आवेदित वनभूमि का वन घनत्व 0.5 से 0.6 होने तथा वन्यप्राणियों के स्वतंत्र विचरण में व्यवधान उत्पन्न होने के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृति से असहमता व्यक्त की है एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।</p> <p>इस संबंध में लेख है कि राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने की शर्त पर इस प्रस्ताव में अनुमोदन दिया है। तदानुसार मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा दिनांक 13/06/2023 से वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना एवं अन्य 10 शर्तों का पालन आवेदक संस्था द्वारा किये जाने के आधार पर प्रस्ताव में अनुमोदन प्रदान किया गया है।</p> <p>अतः मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट द्वारा जिन बिन्दुओं के कारण प्रस्ताव स्वीकृत न करने का अभिमत दिया है, राज्य शासन द्वारा उन बिन्दुओं का उचित निराकरण कर दिया गया है।</p>

ii	The Nodal officer has recommended the proposal citing the reason that the approval for extraction of Mineral extraction was given to the User agency during the period 1978-1998. The State Govt. may therefore submit the complete details of the mining leases and permissions accorded, along-with the details of area broken. The complete chronological history along with the details of violation of FCA, 1980 if any be also provided.	यह खदान वर्ष 1978 में खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थी। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के पूर्व आवेदक संस्था द्वारा 15 एकड़ वनभूमि को तोड़ लिया गया था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के बाद आवेदक संस्था द्वारा इसी 15 एकड़ वनक्षेत्र में खनन कार्य किया गया है। अतः इस प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह खदान वर्ष 1998 से बंद है।
iii	The state govt. has recommended the proposal subject to preparation of a Wildlife Management Plan. It is therefore requested that the comments of the Chief Wildlife Warden on the given diversion proposal may be submitted.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा दिनांक 13/06/2023 से वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना एवं अन्य 10 शर्तों का पालन आवेदक संस्था द्वारा किये जाने के आधार पर प्रस्ताव में अनुमोदन प्रदान किया गया है। टिप्पणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अनुमोदित वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना की प्रति परिशिष्ट - 2 पर संलग्न है।
iv	The Cost Benefit Analysis has not be done as per the prescribed guidelines. The State Govt. may submit the Cost Benefit Analysis as per the prescribed format given in the Handbook of Guidelines issued by the Ministry vide letter dated 28.03.2019.	आवेदक संस्था द्वारा पत्र दिनांक 22/11/2021 से अवगत कराया है कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भाग-1 के बिन्दु क्रमांक G में अपलोड कर दिया गया है।
v	The revenue papers of the Non-forest land submitted for Compensatory Afforestation have the type of land mentioned as Zudupi Jungle and Satkata Jungle in remarks column. State govt. may verify the status of the proposed land In case the area proposed for CA is forest land then the new areas are required to be proposed for Compensatory Afforestation.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दी जा रही गैर वनभूमि के राजस्व अभिलेखों (फार्म पी-2) की प्रतियां प्रस्तुत की गई है जो परिशिष्ट- 3 पर संलग्न है।
vi	The KML file of CA site which is proposed in Khursitola village is wrongly uploaded on PARIVESH website. The correct KML file shall be uploaded.	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण की सही KML File भाग-1 के बिन्दु क्रमांक- L पर अपलोड कर दिया गया है।
vii	Site suitability certificate of CA area stating that the CA areas are suitable for planting and are free from all encumbrances issued by concerned DFO shall be submitted.	वनमण्डलाधिकारी द्वारा तैयार वनीकरण योजना में इस भूमि के रोपण होने बावत् प्रमाण पत्र अंकित किया है।

viii	The Calculated area of forest land proposed for diversion is found 41.03 ha instead of proposed area of 40.468 ha. The accurate KML file shall be uploaded.	प्रस्तावित वनभूमि की सही KML File भाग-1 के बिन्दु क्रमांक- C पर अपलोड कर दिया गया है।
ix	The Letter of Intent and the enclosures uploaded in Part-1 are not legible. It is requested to uploaded legible copies of the same.	कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला बालघाट मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक/655/खनिज/बाला./15 दिनांक 30/05/20215 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।
x	The copy of the approval of mining plan has not been uploaded in Part-I of the proposal, which may be uploaded.	प्रस्ताव में अपलोड कर दी गई है।
xi	As per DSS report:	
a)	Approximately 1.2 ha area in the Non Forest Land proposed for CA is covered by road, river and water-bodies. The state govt. shall measure the actual area available for plantation on ground and provide details of additional NFL after deducting the same from the CA land proposed.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के अनुसार आवेदक संस्था द्वारा समतुल्य गैर वनभूमि दी गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में आवेदक संस्था द्वारा जो वनभूमि चाही जाती है यदि उसमें कोई तालाब/सड़क आदि मौजूद होते हैं तो उनका रकबा भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाता है।
b)	Out of 40.896 ha NFL proposed for CA, 3 ha is having very dense Vegetation and 25 ha is having moderate vegetation. Thus it may not be possible to raise the plantation at the rate of 1000 plants per hectare in the given area. The State govt. may therefore submit the details of the Degraded Forest Land where the balance plants will be planted as per Working Plan prescriptions...	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये दी गई भूमि पर 37000 पौधे तथा बिगड़े वन (कक्ष क्रमांक 1550, रकबा 3.468 हेक्टेयर) में 3468, इस प्रकार कुल 40468 पौधे रोपित किये जायेंगे। वनीकरण योजना की प्रति संलग्न है। तकनीकी स्वीकृति भी संलग्न है।
c)	Proposed forest diversion falls in High Conservation Value area, therefore, comments/ justification of State Government for selecting a High Conservation Value area may be submitted.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में पूर्व में खनन कार्य हुआ है, इस आधार पर राज्य शासन द्वारा अनुशंसा की गई है।


अतः प्राप्त जानकारी संलग्न कर प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


 (सुनील अग्रवाल)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31/08/2023

पृ. क्रमांक/एफ-1 / FP/MP/MIN/23750/2017/ 4024
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट, मध्यप्रदेश।
- 2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उत्तर बालाघाट, मध्य प्रदेश
- 3 मेसर्स धरमजी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।


31/8/2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

परिशिष्ट-2

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755-2674318, 2674337, फैक्स : 0755-2766315

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./माइन-123/5470

भोपाल, दिनांक 13-06-2023

प्रति,

मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड,
प्रॉसपेक्ट चेम्बर्स, 317/21,
डॉक्टर डी.एम. रोड मुम्बई-400001

विषय :- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी वन कक्ष आर.एफ. 1491 में बाकसाइट उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 40.468 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के संबंध में मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव।

संदर्भ :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश की टीप क्रमांक/167 दिनांक 19.04.2022 एवं 265 दिनांक 16.05.2023
2. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट का पत्र क्र./डी.एम./1198 दिनांक 26.07.2022
3. श्री अखिलेश मालवीय, वास्ते धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का पत्र दिनांक 01.06.2023 (को प्राप्त)

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश की संदर्भित टीप दिनांक 19.04.2022 से मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई के बालाघाट जिले के अंतर्गत उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी वन कक्ष आर.एफ. 1491 के रकबा 40.468 हेक्टेयर वनभूमि में बाकसाइट उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु, भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण की जारी स्वीकृत (टी.ओ.आर. दिनांक 27.05.2021) में अधिरोपित शर्त क्रमांक-iii के पालन में प्रस्तावित माइन क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु डॉ. सुदेश बाघमारे, एल.एल.बी., पीएच.डी. इनवायरमेंट एण्ड वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट द्वारा तैयार करायी गई वन्यप्राणी संरक्षण योजना संलग्न प्रेषित कर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अनुमोदन हेतु नस्ती सहित प्रेषित की गई थी।

उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट को प्रेषित कर, परीक्षण कर, अपने अभिमत सहित उचित माध्यम से प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था। वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./1150 दिनांक 22.07.2022 से वन्यप्राणी संरक्षण योजना के संबंध में प्रेषित प्रतिवेदन से मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 26.07.2022 से सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रेषित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रस्तावित माइन क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, 05 वर्षों के लिए कुल रूपये 64,00,000/- का प्रावधान किया गया है। प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्र जैव विविधता वाला पहाड़ी क्षेत्र है, यहां वन्यप्राणी का आवागमन होता है एवं वन्यप्राणी का रहवास क्षेत्र नहीं है, का लेख किया गया है।

प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रावधानित वर्षवार कार्य एवं राशि निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Description	Years wise Amount in Lakhs Rs.					Total
		1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	
1- Monitoring and Surveillance							
1	Monitoring and surveillance, mobile trakers, binoculars protective gears etc.	4.00	-	-	-	-	4.00
2	Development and patrolling paths/ trails	2.00	-	-	-	-	2.00
3	Watch Tower (wild life and fire monitoring) 1 No.	6.00	-	-	-	-	6.00
Total		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Sr. No.	Description	Years wise Amount in Lakhs Rs.					Total
		1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	
2- Protection, Restoration and Rehabilitation							
1	Staff for protection, Surveillance and patrolling	3.00	-	-	2.00	4.00	9.00
2	Dress, torches, hunter shoes, and other gears for staff	2.00	-	2.00	-	-	4.00
3	Habitat development for avi-fauna and small animal	2.00	-	-	-	-	2.00
4	Staff and surveillance patrolling and wildlife management	-	3.00	1.00	-	-	4.00
5	Maintance of 1st years works	-	4.00	-	-	-	4.00
6	Fire Protection works	-	-	1.00	-	-	1.00
7	Training and awareness activities like wild life week and environment days in school	-	-	-	-	1.00	1.00
8	Habitat development activities soil & moistures works	-	-	-	-	1.00	1.00
	Total	7.00	7.00	4.00	2.00	6.00	26.00
3- Training and Awareness							
1	Sign boards/ hoardings/hand bills	1.00	-	-	-	-	1.00
2	Organization of awareness camps/ small workshops/campaign	2.00	-	1.00	-	-	3.00
3	Training/reorientation of staff and building trust in communities	2.00	-	-	-	-	2.00
4	Awareness camps among VFC, FPC, and communities	-	2.00	-	-	-	2.00
5	Distribution of awareness printing materials and posters	-	-	1.00	-	-	1.00
6	Sign borads, display boards	-	-	-	1.00	-	1.00
7	Awareness campaign among villagers & schools	-	-	-	1.00	-	1.00
	Total	5.00	2.00	2.00	2.00	00	11.00
4- Habitat Developments							
1	Formation of artificial holes, Maintain of natural water bodies, grass land development	2.00	-	-	-	-	2.00
2	Construction of soil and moisture conservation structures like gully plugging and check dams etc.	3.00	-	-	-	-	3.00
3	Development of water holes, salt lick centers soil moisture conservation in and around grasslands	-	6.00	-	-	-	6.00
4	Development of grass land and soil moisture works	-	-	2.00	2.00	-	4.00
	Total	5.00	6.00	2.00	2.00	00	15.00
	Grand Total	29.00	15.00	8.00	6.00	6.00	64.00

आपके द्वारा पत्र दिनांक 27.02.2023 से प्रस्तावित माइन से वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने हेतु मिटिगेशन मेजर्स सुझाये गये हैं। इसमें डस्ट एवं नॉइस प्रदूषण को कम करने के लिए रुपये 55.00 लाख तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए रुपये 5.30 लाख इस प्रकार कुल रुपये 124.30 (64+55+5.3) लाख की पुनरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रेषित की गई है। जिसमें प्रावधानित कार्यों एवं प्रावधानित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

FINANCIAL ALLOCATION FOR MITIGATION MEASURES (DUST & NOISE)

No.	Particular	Amount	Remark
01	Plantation of Broad leave species and bamboo ablut 16000 plants with maintenance upto 5 years Rs. 250/- Per plant	40.00	three tire plantation of evergreen species and bamboo mainly katang bamboo and beema bamboo
02	Other environmental protection measures including regular water spraying	10.00	Many small works will be taken to reduce noise and dust pollution i.e awarness wrokshop, sign boards etc.
03	Shrubs & Grasses Plantation	5.00	Garden will be development to minimize ill effect of any pollution.
	Total	55.00	

BUDGET FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

Item	Detail	Area (M ²)	Expenditure/year
Stabilization & rehabilitation of dumps during proposal period	Terracing	3670	80000/-
	Pitching	-	-
	Consturction of retainer wall at toe of dumps	180 m	50000/-
	Construction of garlan drain 180 m long around the dump	180 m	50000/-
	Afforestation on dumps	3682m ²	40000/-
Other	-	-	-
Afforestation green belt	As-per-approved mining plan	2250	60000/-
Miscellaneous	Watering by tractor mounted tank and safety equipments for miners	-	250000/-
Total			530000/-

BUDGET FOR MITIGATION PLAN

S.No.	Detail	Amount
1	Budget for wildlife management & conservation plan	6400000
2	Budget for Palntation for minimizing pollution specially for dust & noise	5500000
3	Budget for environmental protection previosly mention in plan	530000
Grand Total		12430000

उक्तानुसार वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट के द्वारा अनुशसित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के पृष्ठ क्रमांक 19 से 23 एवं पुनरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के 14 से 16 पर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु दर्शाये गये 05 वर्षों के वर्षवार कार्यों के लिए प्रावधानित रूपये 124.30 लाख की वन्यप्राणी संरक्षण योजना का निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदन किया जाता है:-

1. माइन हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्र 40.468 हेक्टेयर क्षेत्र को 4 मीटर ऊंचाई की चेनलिंग फेंसिंग आवेदक संस्था द्वारा खनन प्रारंभ करने के पूर्व करायी जावेगी, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्र में वन्यप्राणियों का आवागमन न हो सके। यह कार्य आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना रूपये 124.30 लाख के अतिरिक्त कराया जावेगा।
2. प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत, माइन प्रारंभ होने के पूर्व समय सीमा में वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रावधानित राशि रूपये 124.30 लाख एक मुश्त मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जाकर वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. आवेदक संस्था द्वारा उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.06.2023 में स्थानीय ग्रामों में ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उल्लेखित निम्नानुसार कार्य कराये जायेंगे :-
 - 3.1 स्वास्थ्य सुविधा के लिए आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण ग्राम पंचायत में किया जायेगा।
 - 3.2 ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए आधुनिक स्कूल का निर्माण व मुफ्त-शिक्षा प्रदान की जावेगी।
 - 3.3 ग्राम पंचायत में लगे हुए ग्रामों में पेयजल हेतु नलकूप का निर्माण जावेगा।
 - 3.4 स्वच्छता हेतु आधुनिक शौचालयों का निर्माण प्रत्येक ग्रामीणों के यहां किया जावेगा।
 - 3.5 परिवहन हेतु पक्की सड़क का निर्माण कर मुख्य मार्ग से जोड़ा जावेगा।
 - 3.6 तकनीकी प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।
 - 3.7 कार्यरत श्रमिक बीमा योजना लागू की जावेगी।
 - 3.8 खेलों के विकास के लिए आधुनिक खेल प्रांगण का निर्माण किया जावेगा।
 - 3.9 सामुदायिक भवन का निर्माण जावेगा।
 - 3.10 सौर ऊर्जा ग्रामीणों को प्रदान की जावेगी।

4. अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कार्यों के क्रियान्वयन का मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट की अध्यक्षता में संबंधित वनमण्डलाधिकारी एवं क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला की अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुश्रवण किया जावेगा एवं इस अनुश्रवण के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किया जावेगा।
5. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कार्यों एवं बिन्दु क्रमांक-3 में उल्लेखित कार्यों को कराये जाने हेतु वचनबद्ध होगी।

उपरोक्त अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित है। अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल, मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला एवं वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट को उपलब्ध करायी जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(जसबीर सिंह चौहान)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

पृ० क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./माइन-123/5471

भोपाल, दिनांक 13-06-2023

प्रतिलिपि :-

1. उप वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिविजन) इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 की ओर भारत सरकार के पत्र क्रमांक फाईल नं. 8-10/2021-एफ.सी. दिनांक 27.05.2021 से जारी टी.ओ.आर. के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति में वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 124.30 लाख आवेदक संस्था द्वारा एक मुश्त मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में जमा कराने की शर्त अधिरोपित करने एवं तदानुसार राशि जमा कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य वनसंरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला की ओर अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट की ओर उक्त अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत माइन प्रारंभ होने के पूर्व वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि एक मुश्त मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में आवेदक संस्था से जमा कराकर, प्रावधानित कार्यों का समय सीमा में क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

22-6





THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO., LTD.

REGD. OFFICE : PROSPECT CHAMBERS, 317/21, Dr. D.N.ROAD, BOMBAY - 400 001 INDIA

DMCC/507/2021

DATE : 22./11/2021

प्रति,

अपर प्रेधान वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- वन मण्डल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर का ग्राम फण्डकी मोहगाँव के वन कक्ष क्रमांक 1491 के रकबा 40.468 हेक्टेयर वन भूमि बाक्सार्ड उत्खनन हेतु मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लि. मुम्बई को उपयोग पर प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ-1 / FP/MP/MIN/23750/2017/1703 दिनांक 01.06.2021

महोदय,

प्रस्ताव में संदर्भित पत्र के माध्यम से 11 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है।

बिन्दु क्र. 1 - यह जानकारी वन विभाग से संबंधित है।

बिन्दु क्र. 2 - यह लीज सन् 1978 में खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति आदेश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

तत्समय हमारे द्वारा 15 एकड़ वन भूमि का आधिपत्य प्राप्त कर खनन का कार्य प्रारम्भ किया गया हमें प्राप्त 15 एकड़ वन भूमि को तत्समय ही तोड़ लिया गया इस प्रकार हमारे द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावशील होने से पूर्व ही वन भूमि तोड़ने का कार्य कर लिया गया था। इस 15 एकड़ वन भूमि पर हमारे द्वारा लीज अवधि वर्ष 1998 तक कार्य किया गया। वर्ष 1998 के बाद से इस खदान में कार्य बन्द है।

बिन्दु क्र. 3 - आवेदित वन क्षेत्र के आसपास के वनों में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के लिये हम सहमत है। वन विभाग जो भी वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करेगा उसे स्वयं के व्यय पर क्रियान्वित करने के लिये सहमत है।



THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO., LTD.

REGD. OFFICE : PROSPECT CHAMBERS, 317/21, Dr. D.N.ROAD, BOMBAY - 400 001 INDIA

.....2.....


- बिन्दु क्र. 4 - हमारे द्वारा यह आवेदन वर्ष 2017 में दिया गया था वर्ष 2019 की गार्डलाईन के अनुसार कास्ट बेनिफिट, ऐनालिसिस तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के भाग 1 में बिन्दु क्रमांक G में अपलोड कर दिया गया है। परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।
- बिन्दु क्र. 5- हमारे द्वारा छतिपूर्ति हेतु दी जा रही गैर वनभूमि की नोईयत पडत भूमि है इस संबंध में राजस्व अभिलेखों में दर्ज विवरण (खसरा नकल) की प्रतिलिपी परिशिष्ट 3 में संलग्न है।
- बिन्दु क्र. 6 - छतिपूर्ति वनिकरण हेतु दी जा रही गैर वनभूमि की सही के.एम.एल. (KML) फाईल प्रस्ताव के भाग 1 में बिन्दु L पर अपलोड कर दी गई है।
- बिन्दु क्र. 7 - इस बिन्दु का संबंध वन विभाग से है।
- बिन्दु क्र. 8 - प्रस्तावित वन भूमि की सही के.एम.एल. (KML) फाईल प्रस्ताव के भाग 1 में बिन्दु C पर अपलोड कर दी गई है।
- बिन्दु क्र. 9 - प्रस्ताव में खनिज विभाग द्वारा जारी एल.ओ.आई. (LOI) की स्वच्छ प्रति परिशिष्ट क्रमांक 4 पर संलग्न है।
- बिन्दु क्र. 10 - स्वीकृत माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्ताव के भाग 1 में अपलोड कर दी गई है। स्वीकृत माईनिंग प्लान की एक प्रति परिशिष्ट 5 में संलग्न है।
- बिन्दु क्र. 11 - इस बिन्दु का संबंध वन विभाग से है।

आवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रस्तुत है।

धन्यवाद सहित,

स्थान :- भोपाल

कार्यकारी अधिकारी


(अखिलेश मालवी)

वास्ते - मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स
क. लि. मुम्बई महाराष्ट्र

प्रमाणिका
 मंत्रालय, दिल्ली
 कृषि विभाग

21/07/2017
 22/5/2017

भाग-III
 खस

दिनांक: 22/05/2017 18:16

NIC-VER4-pkparte
 149894064568



343

प्रमाणिका

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृषि विभाग

वर्ष 2014-2015

क्रमांक	शेखर/शेखर	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	वर्ष की शुरुआत			वर्ष के अंत के
									शेखर का नाम	शेखर का नाम	शेखर का नाम	
32	शेखर/शेखर	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान
33	शेखर/शेखर	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान
34	शेखर/शेखर	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान	किसान/किसान



पत्र संख्या: २४/२०१७/१४६८

दिनांक: १४/०३/२०१७

पृष्ठ संख्या: ११

दिनांक: २४/०५/२०१७

NIC-VER4-pdkparte

२२/१२/२०१७

149894064568



344

ग्राम: खसगाँव

तहसील: खसगाँव

जिला: बाँसाधार

वर्ष: २०१६-२०१७

क्र.सं.	खेत/पट्टा/खसगाँव	खेत/पट्टा/खसगाँव का नाम	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत के बाहर के क्षेत्रों में बाँटें गई		कैफियत
										खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	खेत/पट्टा/खसगाँव का क्षेत्रफल (घ.फु.)	
१	खसगाँव	खसगाँव	१	१	१	१	१	१	१	१	१	खसगाँव से सं.क्र. ७ आ.दि. २४/०६/१५ १०८०९ हेक्टा. भूमि पडत है।
२	खसगाँव	खसगाँव	२	२	२	२	२	२	२	२	२	खसगाँव से सं.क्र. ०२ आ.दि. २४/०६/१५ १२२१४ हेक्टा. भूमि पडत है।
३	खसगाँव	खसगाँव	३	३	३	३	३	३	३	३	३	खसगाँव से सं.क्र. ०३ आ.दि. २४/०६/१५ १२३३० हेक्टा. भूमि पडत है।



खसगाँव

खसगाँव

खसगाँव

खसगाँव

पत्र सं. पी-11

खसरा

दिनांक: २३/०५/२०१७ १४:५७

NIC-VER4-pikpartie



182014686694

41/2/2017
02/02/2017

345

प्रकार: खसरा
पत्रिका क्रमांक: १४६२२७
पत्रिका संख्या: १४६२२७

ग्राम: जैरली

हज्जामा बडगाँव

पंच वि. सं. परसवाडा

तहसील: परसवाडा

जिला: बालाघाट

वर्ष: २०१६-२०१७

क्रमांक	अंश/भाग/खत/संख्या	कानूनी/व्यक्तिगत/सामूहिक/अन्य	विस्तार/प्रतिफल/अन्य	खेत की भूमि						खेत के बाहर के क्षेत्रों में कोई भी फसल का नाम	कैफियत
				क्षेत्रफल	बुझसीरी क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पडती	२ से ५ वर्ष तक की पडती	अन्य पडती अथवा ५ वर्ष से अधिक	रकबा		
६०३३	६०३३	सुधीराजन भिती बजालादी जातिजन पता: बुझकारा (पुलौ) पता: धारकारा (पुलौ) न. २७३ पुलौ भूमि स्वामी ५-३७३३							२.०१३		बुझपी जंगल चोटा-१२७ जि. का.। खरीदी से सं. क्र. ०३ आ. दि. ११/०६/२०१५ के अनुसार। २.०१३ क्षेत्र भूमि पडत है।
६०३६	६०३६	सुधीराजन भिती बजालादी जातिजन पता: बुझकारा (पुलौ) पता: धारकारा (पुलौ) न. २७३ पुलौ भूमि स्वामी ५-३७३६							५.३२६		बुझपी जंगल। खरीदी से सं. क्र. ०४ आ. दि. ११/०६/२०१५ के अनुसार। ५.३२६ क्षेत्र भूमि पडत है।

पत्रिका सं. १४६२२७
नाम, पद एवं दि. क्र.:



कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला बालाघाट

॥ आदेश ॥

क्रमांक/655/खनिज/बाला0/15.

बालाघाट दिनांक 30/5/2015

यह कि खनिपट्टाधारक मेसर्स धरमजी मोराजी केमिकल्स कम्पनी लिमि. मुम्बई (महा0) के पक्ष में जिला बालाघाट तहसील परसवाडा के ग्राम फण्डकी मोहगांव वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना), नया वन कक्ष क्रमांक 1491 रकबा 40.468 हे. क्षेत्र खनिज बाक्सआईड का खनिपट्टा अवधि (02.12.1978 से 01.12.1998 तक) अवधि 20 (बीस) वर्ष के लिये स्वीकृत था। जो विभागीय आदेश क्रमांक 3/113/77/12 दिनांक 07.07.1978 से स्वीकृत किया गया था। इस खनिपट्टे का प्रथम नवकरण आवेदन पत्र खनिपट्टा अवधि की समाप्ति दिनांक 01.12.1998 से 01 वर्ष पूर्व दिनांक 29.11.1997 को प्रस्तुत किया गया है।

अवर सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल पत्र क्रमांक एफ-19-5/2015/12-1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 8-ए(6) में प्रावधानित है कि जहां खनिज का उपयोग केप्टिव प्रयोजन में उनकी अवधि 31.03.2030 तक के अलावा भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है, उनकी अवधि 31 मार्च 2020 तक अथवा विगत नवकरण की अवधि पूर्ण होने या मूल स्वीकृति से 50 वर्ष इनमें से जो भी बाद में हो, तक पट्टा शर्तों के पालन किये जाने की स्थिति में मान्य किया जाना है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों/निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स धरमजी मोराजी केमिकल्स कम्पनी लिमि. मुम्बई (महा0) को खनिपट्टे की अवधि दिनांक 01.12.2028 तक विस्तारित (Extended) की जाती है।

अतः खनिपट्टे की उक्त विस्तारित अवधि के लिए नियमानुसार देय स्टाम्प डियूटी एवं पंजीयन शुल्क की गणना की जाकर पूरक अनुबंध निष्पादित कराया जाये। स्टाम्प डियूटी एवं पंजीयन शुल्क की गणना का आधार क्या होगा इस हेतु विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ-19-5/2015/12/1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 के अनुसार होगी।

खनिपट्टे की विस्तारित अवधि के दौरान खनिपट्टाधारी मेसर्स धरमजी मोराजी केमिकल्स कम्पनी लिमि. मुम्बई (महा0) खनिपट्टा क्षेत्र में समस्त नियम/प्रावधानों का पालन करना होगा एवं समस्त आवश्यक/वांछित अनुमतियों/अनुबंध निष्पादन के पूर्व बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही खनिपट्टे का अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावे।

50
COLLECTOR
BALAGHAT

जिला बालाघाट (म0प्र0)

पृ० क्रमांक / 656 / खनिज / बालाघाट / 15
प्रतिलिपि :-

बालाघाट दिनांक 30/5/2015

- 1) सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)।
- 3) महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स नागपुर (महॉ.)।
- 4) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29-ए, अरेरा हिल्स खनिज भवन भोपाल (म.प्र.)।
- 5) मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमि. प्रासपेक्ट चेम्बर 317/21 डी.एन. रोड मुम्बई (महॉ)-400001 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6) गार्ड फाईल।



COLLECTOR
BALAGHAT
जिला बालाघाट (म.प्र.)

348

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राज्य MADHYA PRADESH

R 806882

खनिपट्टाधारी को खनि रियायत नियमावली 1960 के नियमों तथा अनुबंध पत्र की शर्तों का पालन करना होगा एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना होगा। खनिपट्टाधारी को नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना आवश्यक होगा। खनिपट्टाधारी द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं खनि रियायत नियमावली 1960 के नियमों का पालन न करने के कारण होने वाले नुकसान को वह पूरा अनुबंध, मूल अनुबंध का माना जाएगा।

[Signature]

खनिपट्टाधारी के हस्ताक्षर

COLLECTOR
BALAGHAT

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए
तथा उनकी ओर से

[Signature]
उप सचिव
(खनि प्रशासन)
राज्यपाल (पट्टाकर्ता)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

गवाह:- (1)

[Signature]
C.D.

(2) *[Signature]*
D-6 Vishwa Vitech City
Bhopal

6776 दिनांक 22/07/11 स्टाम्प डि.

मि. मा. र. - स्टाम्प डि. मि. मा. र. - स्टाम्प डि. मि. मा. र. - स्टाम्प डि.

मि. मा. र. - स्टाम्प डि. मि. मा. र. - स्टाम्प डि.

मि. मा. र. - स्टाम्प डि. मि. मा. र. - स्टाम्प डि.



मि. मा. र. - स्टाम्प डि. मि. मा. र. - स्टाम्प डि.

मि. मा. र. - स्टाम्प डि. मि. मा. र. - स्टाम्प डि.

35D

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES



पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

R 806821

:: पूरक अनुबन्ध ::

अनुबन्ध निष्पादन दिनांक 24/07/16

खनिपट्टाधारी मेसर्स धरमसी मोरारजी कमिकल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री सुनिल जैन आन्ध्र प्रदेश एवं पृथ्वीराज जैन जे. ए. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. द्वारा राउट नं. 07 जूह स्कीम मुम्बई-400049 के पक्ष में जिला बालाघाट के तह परसवाडा ग्राम फण्डकी मोहगांव वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकवा 40.468 हे. क्षेत्र खनिज वाक्सआईड खनिपट्टा विभागीय आदेश क्रमांक 3/113/77/12 भापाल दिनांक 07.07.1978 से 20 वर्ष के अवधि दिनांक 02.12.1978 से 01.12.1998 तक स्वीकृत किया गया था.

खनिपट्टाधारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत खनिपट्टा नवीनीकरण हेतु दिनांक 29.11.1997 को ग्राम फण्डकी मोहगांव तह परसवाडा वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकवा 40.468 हे. क्षेत्र पर खनिज वाक्सआईड का प्रथम नवीकरण आदेश पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो शासन स्तर पर लंबित था।

स.प्र. शासन खनिज प्रशासन विभाग भापाल के आदेश क्रमांक एफ 19/5-2015 दिनांक 12.03.2015 में उल्लेखित अनुसार एवं खनिज विकास तथा नियंत्रण अधिनियम, 1957 संशोधन अध्यादेश 2015 के द्वारा 8ए(5) के अधीन स्वीकृत खनिपट्टा की मूल अवधि स्वीकृत अवधि 50 वर्ष हो चुकी है। खनिपट्टाधारी मेसर्स धरमसी मोरारजी कमिकल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई द्वारा को शासनादेश दिनांक 07.07.1978 द्वारा उपरोक्तानुसार, ग्राम फण्डकी मोहगांव तह परसवाडा वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकवा 40.468 हे. क्षेत्र पर खनिज वाक्सआईड का स्वीकृत खनिपट्टा नवन केन्द्रिक प्रशासन के शासन के आदेश दिनांक 12.03.2015 में खनिज प्रशासन के आदेश क्रमांक 3/113/77/12 भापाल दिनांक 07.07.1978 से 20 वर्ष के अवधि दिनांक 02.12.1978 से 01.12.2028 तक खनिपट्टा की समयावधि किया जाने विषयक पूरक अनुबन्ध किया जाना है।

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
विश्व कलेक्टर जिला बालाघाट

क्रमांक 475/46 30/07/13

दिनांक 30/07/13

प्राप्त

आचार्य

माध्यमिक

अध्यक्ष

श्री. राजेश चंद्र

कलकत्ता

स्टाम्प घाट, बालाघाट

₹. 100/-

100/-

TREASURY OFFICER
BALAGHAT (M.P.)

- 9 JUL 2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL


एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH



S 624665

संमक्ष :- श्रीमान नोटरी पब्लिक बालाघाट

शपथ पत्र

मैं मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई (महाराष्ट्र) को स्वीकृत खनि पट्टा जिला बालाघाट तह0 परसवाडा ग्राम फण्डकी मोहगांव के वन कक्ष क्रमांक 1491 कुल रकबा 40.468 हे0 खनिज बाक्साईड प्राधिकृत अधिकारी सुनील जैन आत्मज स्व0 ब्रजलाल जैन निवासी गुल्मोहर कास रोड नं0-7 जुहू स्कीम बंगलो मुम्बई द्वारा खनिज संसोधन अधिनियम 2015 की धारा 8 (ए) (5) एवं 8 (ए) (6) में वर्णित कंडिकाओं पर शपथपत्र निम्नानुसार है :-

1. स्वीकृत खदान के लिये जनवरी 2015 की स्थिति में हमारे द्वारा देय समस्त बकाया राशि जमा कर दी गई है।
2. स्वीकृत खनिपट्टा की शर्तों का हमारे द्वारा कोई उल्लघन नहीं किया गया है।
3. खनिज संरक्षण तथा विकास नियम 1988 के प्रावधान अनुसार उल्लघन नहीं किया गया है।
4. यह कि खदान के लिये देय बकाया राशि निम्नानुसार देय होगी वह जमा कर दी जावेगी।

अतः शपथ पत्र प्रस्तुत है ।

बालाघाट दिनांक- 24/07.2015

[Signature]
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि शपथ पत्र में वर्णित समस्त कथन मेरे स्वज्ञान विवेक एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है । अतः शपथ पत्र पढ़कर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया ।




M. M. Swaganwal
ADVOCATE & NOTARY
BALAGHAT (M.P.)

[Signature]
सत्यापनकर्ता

5909 24/07/11 1578

महाराष्ट्र सरकारचे गैरराश्ट्रीय कार्यालय कर्मचारी व निवृत्त कर्मचारी यांच्यासाठी कोटेशन क्र. 23/2011/2011

3/1/2011
10000/-
10000/-
10000/-



CERTIFICATION

I, Smt. Malti Awadhwal, Notary, Balaghat (M.P.), by Notaries Act, 1952 and the rules made thereunder, year 1958, here I Certify that the documents were read over and made understood by the parties and they signed their after they signed the documents along with their signatures. Hence I attest that the documents are valid and correct.


Signature in my office at Balaghat (M.P.)
Malti Awadhwal
(Smt. Malti Awadhwal)
ADVOCATE & NOTARY
BALAGHAT (M.P.)

TREASURY OFFICE
BALAGHAT (M.P.)

25 JUN 2015

354

789785/



पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग (वाणिज्य कर) मध्य प्रदेश



होम	ईआरएस	डाउनलोड	सेवारं	मदद	साइट	हमसे संपर्क करें
-----	-------	---------	--------	-----	------	------------------

स्लॉट आरक्षण - उपयोगकर्ता स्लॉट आरक्षण के रूप में लॉगइन: KAILASH 1 25 /07 /2015, 15:46:22 साइन आउट

गाईडलाईन
संपत्ति मूल्यांकन और शुल्कगणना
ई स्टाम्प
सेवा प्रदाता
स्लॉट आरक्षण
दस्तावेज़ खोज/ प्रमाणित प्रति
आपत्ति और बैंक प्रसार
प्रमाणित प्रति
पंजीयन की प्रक्रिया
उपयोगकर्ता खाता प्रबंधन

स्लॉट आरक्षण
पंजीयन आवेदन प्रारंभ 240715000904 टाइम स्लॉट को सफलतापूर्वक आरक्षित किया गया 25/07/2015 03:45 - 04:00 आपकी संदर्भ आईडी है SLOT2507201527809
<input type="button" value="ठीक है"/> <input type="button" value="प्रिंट करें"/>
डिस्कलेन्डर: उप पंजीयक कार्यालय में उपलब्धता अनुसार स्लॉट आरक्षित किया गया है।

A / 21121

Received 789785/


डिस्कलेन्डर: अन्तर्वस्तुएं पंजीयन व स्टाम्प विभाग द्वारा संचालित, संचारित तथा अद्यतित। कॉपीराइट © 2014, आईजीआरएस, मध्यप्रदेश। सर्वाधिकार सुरक्षित। 1024 X 768 पिक्सेल्स में सर्वोत्कृष्ट रूप में दर्शित। (सेकंड में आवेदन प्रोसेसिंग समय :- 1.046) [5]

upload


संब्यवहार के विवरण
भुगतान संब्यवहार आईडी: PTID25072015153700
भुगतान की गई राशि: 1078006.0
भुगतान की तिथि: 25/07/2015 01:07:12 AM
भुगतान की रीति: क्रेडिट सीमा
उद्देश्य: ई स्टॉप न्यायिकेतर
जारीकर्ता का नाम: KAILASH JAMUNPANE
<input type="button" value="रसीद प्रिंट करें"/> <input type="button" value="बंद करें"/>

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 52149 तथा ई-स्टाम्प कोड 01010125072015000208 सहित, एतद् द्वारा अभिप्राणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।


प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के
नाम तथा पिता का नाम


25/07/11
उपस्थालक
(व्यक्ति प्रशासन)
हेतु कलेक्टर जिला बालाघाट

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम


For 
The D.M.C. Co. Ltd.

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम

गवाह 1 का नाम Akhilesh malvi age
पता 36 year, S/O Ramadhor malvi
हस्ताक्षर 
आईडी का टाईप तथा नम्बर

Pan No- AUEPM6971A

13-6 Vishu
Mj. tex city
Hoshangabad
road Bhopal

गवाह 2 का नाम Parresh jain 26 year S/O
पता Ratan jain Add- subhash ward
हस्ताक्षर 
आईडी का टाईप तथा नम्बर

Pipariya
Hoshangabad
(M. P.)

Driving licence - MPOSN-2012-
0122260

32149

240718000904

पूरक अनुबन्ध:०:

अनुबन्ध निष्पादन दिनांक ...24/07/18.....

खनिपट्टाधारी मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई (महा.) प्राधिकृत अधिकारी श्री सुनिल जैन आत्मज स्व: श्री वृजलाल जैन नि० ब्रिज कमल बगलो गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 07 जूह स्कीम मुम्बई-400049 के पक्ष में जिला बालाघाट के तह. परसवाडा के ग्राम फण्डकी मोहागांव वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकबा 40.468 हे. क्षेत्र खनिज बाकसाईड खनिपट्टा विभागीय आदेश क्रमांक 3/113/77/12 भोपाल दिनांक 07.07.1978 से 20 वर्ष की अवधि दिनांक 02.12.1978 से 01.12.1998 तक स्वीकृत किया गया था।

खनिपट्टाधारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत खनिपट्टा नवीनीकरण हेतु दिनांक 29.11.1997 को ग्राम फंण्डकी मोहगांव तह. परसवाडा वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकबा 40.468 हे. क्षेत्र पर खनिज बाक्सईड का प्रथम नवकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शासन स्तर पर लंबित था। म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 19-5/2015/12-1 दिनांक 12.03.2015 में उल्लेखित अनुसार खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 8ए(5) के अधीन स्वीकृत खनिपट्टा की मूल अवधि स्वीकृति तिथि से 50 वर्ष हो चुकी है। खनिपट्टाधारी मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई (महा.) को शासनादेश दिनांक 07.07.1978 द्वारा उपरोक्तानुसार, ग्राम फंण्डकी मोहगांव तह. परसवाडा वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकबा 40.468 हे. क्षेत्र पर खनिज बाक्सईड के स्वीकृत खनिपट्टा नान केप्टिव खदान को शासन के आदेश दिनांक 12.03.2015 के परिपेक्ष्य में खनिपट्टा की मूल अवधि से 50 वर्ष से आगामी अवधि 02.12.1998 से 01.12.2028 तक के लिए मूल खनिपट्टा की समयावृद्धि किये जाने विषयक पूरक अनुबंध किया जाता है। खनिपट्टाधारी को खनि रियायत नियमावली 1960 के नियमों तथा अनुबंध पत्र की शर्तों का पालन करना होगा एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना होगा।

खनिपट्टाधारी को नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना आवश्यक होगा। खनिपट्टाधारी द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं खनि रियायत नियमावली 1960 के नियमों का पालन नहीं किये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह पूरक अनुबंध, मूल अनुबंध का भाग माना जावेगा।

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए
तथा उनकी ओर से

खनिपट्टाधारी के हस्ताक्षर

उपसंचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----Please turn over/कृपया पृष्ठ पलटिये।-----

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

कमांक/१५३ /ख०लि०-२/१५
प्रति,

बालाघाट दिनांक २५/७ /१५


✓ उप पंजीयक
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम १९५७ संशोधन अध्यादेश २०१५ के अधीन खनिपट्टो की अवधि वृद्धि/अनुबंध पंजीयन के संबंध में।

-----000-----

मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई (महा.) को स्वीकृत खनिपट्टा ग्राम फण्डकी मोहगांव तह. परसवाडा वन कक्ष कमांक १४९१ रकबा ४०.४६८ हे. क्षेत्र खनिज बाक्ससाईड अनुबंध पत्र/गणना पत्रक संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनुबंध पत्र पंजीयन किये जाने प्रस्तुत है।

संलग्न:- अनुबंध पत्र, गणना पत्रक


उप संचालक
उप संचालक (ख.प्र.)
उप कलेक्टर जिला बालाघाट



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र	
पंजीकरण का विवरण	
ई-पंजीकरण संख्या	MP011672015A1021121
पंजीकरण की तिथि	25/07/2015
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिंट करने की तिथि	27/07/2015
संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है)	18210600
पंजीयन शुल्क (रुपये)	789785
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	1078005
उप पंजीयक का नाम	MAHASINGH MASHRAM
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट

पदादाता स्वयं


नाम जै० के० सोलंकी
पिता/पति का नाम
पता उप संचालक खनिज प्रशासन बालाघाट (म०प्र०), बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

पदादाता स्वयं

संगठन का नाम में० धरमसी मोरारजी केमिकल्स कं० लिमि० मुम्बई महाराष्ट्र
अधिकृत व्यक्ति का नाम सुनील जैन
पता डी-6 विष्णु हाईटेक सीटी होशंगाबाद रोड मोपाल, मोपाल, मध्य प्रदेश, भारत


Digitally signed
by MASRAM
MAHA SINGH
Date: 2015.07.27
17:39:30 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

स्टाम्प विवरण	स्टाम्प विवरण
स्टाम्प कोड	01010125072015000208
स्टाम्प राशि (रुपए)	1078006
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	1051713
जनमद ड्यूटी (रुपए)	0
चुट दी गई राशि (रुपए)	0
नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
उपकर राशि (रुपए)	26293
ई स्टाम्प का प्रकार	नैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	25/07/2015 01:07:23 PM
शूलर आईडी / जारीकर्ता	KAILASH JAMUNPANE/SP010116601201500014
एस पी / एस आर ओ /	WARD NO: 32 MOTI NAGAR BALAGHAT M.P. बालाघाट
डी आर ओ / एच ओ विवरण	बालाघाट

विलेख का प्रकार	विलेख विवरण
लिखत	पट्टा (छह) जहाँ कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए ताल्पयित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शासककालीन है या निश्चित कालावधि के लिए ताल्पयित नहीं है।

उद्देश्य

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए अग्रिम वार्षिक माटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, खनिजपट्टा

नाम

जे० के० सोलकी

पता

उप संचालक खनिज प्रशासन बालाघाट (म०प्र०)

व्यक्तियों की संख्या

1

संगठन का नाम

म० धरमसी मोरारजी केमिकल्स क० लिमि० मुम्बई महा०

पता

डी-6 विष्णु हाइटैक सीटी होशंगाबाद रोड मोपाल

व्यक्तियों की संख्या

1

पूरक अनुबन्धः अनुबन्ध निष्पादन दिनांक 24/07/2015 खनिजपट्टाधारी मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई (महा.) प्राधिकृत अधिकारी श्री सुनिल जैन आत्मज स्वः श्री बृजलाल जैन नि० ब्रिज कमल बरुगे गुलमोहर क्रॉस रोड नं० 07 जूह स्क्रीम मुम्बई-400049 के पक्ष में जिला बालाघाट के तह, परसवाडा के ग्राम फण्डकी मोहगांव वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491 (नया) रकबा 40.468 हे. क्षेत्र खनिज बाक्सआईड खनिजपट्टा विभागीय आदेश क्रमांक 3/113/77/12 मोपाल दिनांक 07.07.1978 से 20 वर्ष की अवधि दिनांक 02.12.1978 से 01.12.1998 तक स्वीकृत किया गया था।



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

खनिपट्टाधारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत खनिपट्टा नवीनीकरण हेतु दिनांक 29.11.1997 को ग्राम फण्डकी मोहगांव तह. परसवाडा वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकबा 40.468 हे. क्षेत्र पर खनिज बाकसाईड का प्रथम नवकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शासन स्तर पर लंबित था। म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भापाल के आदेश क्रमांक एफ 19-5/2015/12-1 दिनांक 12.03.2015 में उल्लेखित अनुसार खान एवं खनिज (विकास तथा वित्तियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 8ए(5) के अधीन स्वीकृत खनिपट्टा की मूल अवधि स्वीकृति तिथि से 50 वर्ष हो चुकी है। खनिपट्टाधारी मेसर्स धरमजी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई (महाराष्ट्र) को शासनादेश दिनांक 07.07.1978 द्वारा उपरोक्तानुसार, ग्राम फण्डकी मोहगांव तह. परसवाडा वन कक्ष क्रमांक 280 (पुराना) वन कक्ष क्रमांक 1491(नया) रकबा 40.468 हे. क्षेत्र पर खनिज बाकसाईड के स्वीकृत खनिपट्टा नान केप्टिव खदान को शासन के आदेश दिनांक 12.03.2015 के परिपेक्ष्य में खनिपट्टा की मूल अवधि से 50 वर्ष से आगामी अवधि 02.12.1998 से 01.12.2028 तक के लिए मूल खनिपट्टा की समयावधि किये जाने विषयक पूरक अनुबंध किया जाता है। खनिपट्टाधारी को खनि रियायत नियमावली 1960 के नियमों तथा अनुबंध पत्र की शर्तों का पालन करना होगा एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना होगा।

खनिपट्टाधारी को नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना आवश्यक होगा। खनिपट्टाधारी द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं खनि रियायत नियमावली 1960 के नियमों का पालन नहीं किये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह पूरक अनुबंध, मूल अनुबंध का भाग माना जावेगा।

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए
तथा उनकी ओर से

खनिपट्टाधारी के हस्ताक्षर

उपसंचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- Please turn over / कृपया मूठ पलटिये। -----



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :


जे० के० सोलंकी



के द्वारा उप जिला बालाघाट

जिला बालाघाट के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 25/07/2015 को मध्याह्न पूर्व/मध्याह्न पश्चात् 05:08:30 बजे प्रस्तुत किया गया।

MAHASINGH MASHRAM ()
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

भूमि का स्वतंत्र प्रकृतिक अधिकार के निष्पत्ति में प्रमाणित करने, रजिस्ट्रीकरण क्र. 521/49 तथा इन्टरलॉक नंबर 01010125072015000208, जिला: रायसेन जिले में स्थित भूमि का अधिभोग एवं मूल्यांकन के, एवं मूल्यांकन विभागाध्यक्ष द्वारा जारी की गई प्रमाणित की जाती है।

स्टाम्प फर्माइंग विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
जिला रजिस्ट्रार, रायसेन के अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
मूल्य मूल्यांकन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

(Signature)
जिला रजिस्ट्रार, रायसेन

पत्र 1 का नाम: *Lalleshwar Acharya*
पता: *36, Sita Ramdhar Malvi*
हस्ताक्षर: *(Signature)*
व्यक्ति का पता: *...*

पत्र 2 का नाम: *Ramesh Chandra Singh*
पता: *Ratan Singh*
हस्ताक्षर: *(Signature)*
व्यक्ति का पता: *...*

प्राप्त: *ALIEP/EST/16*

Dr. J. K. Singh - MRO/1-2015
0124-246



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

जे० के० सोलंकी

मे० धरमसी मोरारजी केमिकल्स कं० प्रतिनिधित्व:-
लिमी० मुम्बई महा०

सुनील जैन

पता: उप संचालक खनिज प्रशासन बालाघाट (म०प्र०)


पता: डी-6 विष्णु हाईटेक सीटी होशंगाबाद रोड भोपाल

स्वीकार करते हैं कि कथित पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी। तारीख
25/07/2015




MAHASINGH MASHRAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



Photograph 01





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

AKHILESH MALWI

पुत्र/आत्मज RAMADHAR

पता: B-6 HOSANGABAD ROAD BHOPAL

PARESH JAIN

पुत्र/आत्मज RATAN JAIN



पता: SUBHAS WARD PIPARIYA

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है। तारीख 25/07/2015

MAHASINGH MASHRAM





उप-पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



इस दस्तावेज के निष्पादक के अंगुठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 25/07/2015 को लिया गया ।

MAHASINGH MASHRAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट




इस दस्तावेज के निष्पादक सुनील जैन के अंगुठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 25/07/2015 को लिया गया ।

MAHASINGH MASHRAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट

गवाह मुद्रा :



AKHILESH MALWI



37D



रजिस्ट्रार एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश





गवाह मुद्रा



Signature



PARESH JAIN





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	1051713
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	26293
अतिरिक्त शुल्क	0
बुकाया गया स्टाम्प शुल्क	1078006

MAHASINGH MASHRAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा:

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 25/07/2015 का क्रमांक
MP011672015A1021121 दे कर किया गया है। जिसमें 15 पृष्ठ समाविष्ट हैं।

स्टाम्प शुल्क 1078006


पंजीयन शुल्क 789785

प्रतिलिपि शुल्क 0

अधिक 0

योग 789785

MAHASINGE MASHRAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय बालाघाट



MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
NORTH BALAGHAT DIVISION

Range: NORTH UKWA & WEST BAIHAR

Sheet No: 64-BB-C3



Scale: 1:15,000



LEGEND ::

O Munara
 --- Munara Boundary
 --- Compartment No.
 --- Compartment Boundary

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

IT Wing MPPD, Bhopal
 [Signature]
 [Stamp]
 The office is Property of Madhya Pradesh Forest Department. It is not to be sold, transferred, mortgaged, or otherwise disposed of without the sanction of the Government. Any person who contravenes this provision shall be liable to prosecution.

Prepared by: [Signature]
 Checked by: [Signature]
 Approved by: [Signature]
 IT Wing MPPD, Bhopal

कायालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1

नस्ती क्रमांक...../मा.चि-1/.....

पृष्ठ संख्या 42.....

विषय :- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी वन कक्ष आर.एफ. 1491 में बाक्साइट उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 40.468 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के संबंध में मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयांकित नस्ती पुनः विचारार्थ प्रेषित की गई है। उक्त संबंध में आवेदक संस्था से चर्चा उपरांत आवेदक संस्था द्वारा पत्र दिनांक 01.06.2023 से वन्यप्राणियों एवं स्थानीय ग्रामों के ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कार्यों का प्रावधान किया गया है, सुलभ संदर्भ पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है। प्रस्तावित माइन क्षेत्र के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./1150 दिनांक 22.07.2022 से प्रेषित वन्यप्राणी संरक्षण योजना का परीक्षण किया गया तथा वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स का प्रावधान कर रुपये 124.30 लाख की संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना अपने अभिमत सहित मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट के माध्यम से प्रेषित की गई। मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट द्वारा पत्र क्रमांक/डी.एम./1198 दिनांक 26.07.2022 से सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रेषित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रस्तावित माइन क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, 05 वर्षों के लिए कुल रुपये 64,00,000/- का प्रावधान किया गया है। प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्र जैव विविधता वाला पहाड़ी क्षेत्र है, यहां वन्यप्राणी का आवागमन होता है एवं वन्यप्राणी का रहवास क्षेत्र नहीं है, का लेख किया गया है।

प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रावधानित वर्षवार कार्यों एवं राशि निम्नानुसार है:-

| S. No | Description | Years wise Amount in Lakhs Rs. | | | | | Total |
|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 th | 5 th | |
| 1- Monitoring and Surveillance | | | | | | | |
| 1 | Monitoring and surveillance, mobile trakers, binoculars protective gears etc. | 4.00 | - | - | - | - | 4.00 |
| 2 | Development and patrolling paths/ trails | 2.00 | - | - | - | - | 2.00 |
| 3 | Watch Tower (wild life and fire monitoring) 1 No. | 6.00 | - | - | - | - | 6.00 |
| Total | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2- Protection, Restoration and Rehabilitation | | | | | | | |
| 1 | Staff for protection, Surveillance and partrolling | 3.00 | - | - | 2.00 | 4.00 | 9.00 |
| 2 | Dress, torches, hunter shoes, and other gears for staff | 2.00 | - | 2.00 | - | - | 4.00 |
| 3 | Habitat development for avi-fauna and small animal | 2.00 | - | - | - | - | 2.00 |

विषय :- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी वन कक्ष आर.एफ. 1491 में बाक्साइड उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 40.468 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के संबंध में मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव।

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 4 | Staff and surveillance patrolling and wildlife management | - | 3.00 | 1.00 | - | - | 4.00 |
| 5 | Maintance of 1st years works | - | 4.00 | - | - | - | 4.00 |
| 6 | Fire Protection works | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 |
| 7 | Training and awareness activities like wild life week and environment days in school | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Habitat development activities soil & moistures works | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| | Total | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 26.00 |

3- Training and Awareness

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | Sign boards/ hoardings/hand bills | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 |
| 2 | Organization of awareness camps/ small workshops/campaign | 2.00 | - | 1.00 | - | - | 3.00 |
| 3 | Training/reorientation of staff and building trust in communities | 2.00 | - | - | - | - | 2.00 |
| 4 | Awareness camps among VFC, FPC, and communities | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
| 5 | Distribution of awareness printing materials and posters | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 |
| 6 | Sign borads, display boards | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 7 | Awareness campaign among villagers & schools | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| | Total | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 00 | 11.00 |

4- Habitat Developments

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|------|
| 1 | Formation of artificial holes, Maintain of natural water bodies, grass land development | 2.00 | - | - | - | - | 2.00 |
|---|---|------|---|---|---|---|------|

कायालय प्रधान मुख्य वन सरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

नस्ती क्रमांक...../मा.चि-1/.....

पृष्ठ संख्या 40

विषय :- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी वन कक्ष आर.एफ. 1491 में बाक्साइट उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 40.468 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के संबंध में मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव।

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2 | Construction of soil and moisture conservation structures like gully plugging and check dams etc. | 3.00 | - | - | - | - | 3.00 |
| 3 | Development of water holes, salt lick centers soil moisture conservation in and around grasslands | - | 6.00 | - | - | - | 6.00 |
| 4 | Development of grass land and soil moisture works | - | - | 2.00 | 2.00 | - | 4.00 |
| | Total | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 00 | 15.00 |
| | Grand Total | 29.00 | 15.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 64.00 |

आपके द्वारा पत्र दिनांक 27.02.2023 से प्रस्तावित माइन से वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने हेतु मिटिगेशन मेजर्स सुझाये गये हैं। इसमें डस्ट एवं नॉइस प्रदूषण को कम करने के लिए रूपये 55.00 लाख तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए रूपये 5.30 लाख इस प्रकार कुल रूपये 124.30 (64+55+5.3)लाख की पुनरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रेषित की गई है। जिसमें प्रावधानित कार्य एवं प्रावधानित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

FINANCIAL ALLOCATION FOR MITIGATION MEASURES (DUST & NOISE)

| No. | Particular | Amount | Remark |
|-----|--|--------------|---|
| 01 | Plantation of Broad leaf species and bamboo ablut 16000 plants with maintenance upto 5 years Rs. 250/- Per plant | 40.00 | three tire plantation of evergreen species and bamboo mainly katang bamboo and beema bamboo |
| 02 | Other environmental protection measures including regular water spraying | 10.00 | Many small works will be taken to reduce noise and dust pollution i.e awarness wrokshop, sign boards etc. |
| 03 | Shrubs & Grasses Plantation | 5.00 | Garden will be development to minimize ill effect of any pollution. |
| | Total | 55.00 | |

BUDGET FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

| Item | Detail | Area (M ²) | Expenditure/ year |
|--|-----------|------------------------|-------------------|
| Stabilization & rehabilitation of dumps during proposal period | Terracing | 3670 | 80000/- |
| | Pitching | - | - |

विषय :- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी वन कक्ष आर.एफ. 1491 में बाक्साइट उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 40.468 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के संबंध में मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव।

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | Consturction of retainer wall at toe of dumps | 180 m | 50000/- |
| | Construction of garlan drain 180 m long around the dump | 180 m | 50000/- |
| | Afforestation on dumps | 3682m ² | 40000/- |
| Other | - | - | - |
| Afforestation green belt | As per approved mining plan | 2250 | 60000/- |
| Miscellaneous | Watering by tractor mounted tank and safety equipments for miners | - | 250000/- |
| Total | | | 530000/- |

BUDGET FOR MITIGATION PLAN

| S.No. | Detail | Amount |
|--------------------|---|-----------------|
| 1 | Budget for wildlife management & conservation plan | 6400000 |
| 2 | Budget for Palntation for minimizing pollution specially for dust & noise | 5500000 |
| 3 | Budgent for environmental protection previosly mention in plan | 530000 |
| Grand Total | | 12430000 |

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./माइन-123/5470 दिनांक 13.06.2023 से वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट के द्वारा अनुशंसित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के पृष्ठ क्रमांक 19 से 23 एवं पुनरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के 14 से 16 पर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु दर्शाये गये 05 वर्षों के वर्षवार कार्यों के लिए प्रावधानित रूपये 124.30 लाख की वन्यप्राणी संरक्षण योजना का निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदन किया गया।


- माइन हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्र 40.468 हेक्टेयर क्षेत्र को 4 मीटर ऊंचाई की चैनलिंग फेंसिंग आवेदक संस्था द्वारा खनन प्रारम्भ करने के पूर्व करायी जावेगी, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्र में वन्यप्राणियों का आवागमन न हो सके। यह कार्य आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना रूपये 124.30 लाख के अतिरिक्त कराया जावेगा।
- प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत, माइन प्रारम्भ होने के पूर्व समय सीमा में वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रावधानित राशि रूपये 124.30 लाख एक मुश्त मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ. एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जाकर वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- आवेदक संस्था द्वारा उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.06.2023 में स्थानीय ग्रामों में ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उल्लेखित निम्नानुसार कार्य कराये जायेंगे :-
 - स्वास्थ्य सुविधा के लिए आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण ग्राम पंचायत में किया जायेगा।
 - ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए आधुनिक स्कूल का निर्माण व मुफ्त शिक्षा प्रदान की जावेगी।

विषय :- वनमण्डल उत्तर बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी वन कक्ष आर.एफ. 1491 में बाक्साइट उत्खनन एवं विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 40.468 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के संबंध में मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव।

- 3.3 ग्राम पंचायत में लगे हुए ग्रामों में पेयजल हेतु नलकूप का निर्माण जावेगा।
 - 3.4 स्वच्छता हेतु आधुनिक शौचालयों का निर्माण प्रत्येक ग्रामीणों के यहां किया जावेगा।
 - 3.5 परिवहन हेतु पक्की सड़क का निर्माण कर मुख्यम मार्ग से जोड़ा जावेगा।
 - 3.6 तकनीकी प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।
 - 3.7 कार्यरत श्रमिक बीमा योजना लागू की जावेगी।
 - 3.8 खेलों के विकास के लिए आधुनिक खेल प्रांगण का निर्माण किया जावेगा।
 - 3.9 सामुदायिक भवन का निर्माण जावेगा।
 - 3.10 सौलर ऊर्जा ग्रामीणों को प्रदान की जावेगी।
4. अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कार्यों के क्रियान्वयन का मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट की अध्यक्षता में संबंधित वनमण्डलाधिकारी एवं क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला की अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुश्रवण किया जावेगा एवं इस अनुश्रवण के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किया जावेगा।
5. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कार्यों एवं बिन्दु क्रमांक-3 में उल्लेखित कार्यों को कराये जाने हेतु वचनबद्ध होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र)



13.06.2023

(जसबीर सिंह चौहान)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)




24/6/2023

435
NO/Pest (BC&CVA M)
E 13-6-2023